प्रेषक,

निदेशक,पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/15/10–1/27/2010 लखनऊः दिनांक 26 अप्रैल, 2010

विषयः वर्ष 2010–11 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–83 में सी0सी0रोड एवं पक्की नाली निर्माण हेतु धनराशि की का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–335/26–ब0प्र0 –2010–100 (3)/2010 दिनॉक–22.04.2010 द्वारा अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं पक्की नाली निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रुपया 124200 लाख में से शासन द्वारा कालम–9 में अनुमोदित रुपया – 59395.78 लाख (रु0 पांच अरब तिरानवे करोड़ पन्चानवे लाख अठ्ठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न सूची में उल्लिखित जनपदों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि के विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं।

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0– बी0/1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26.03.2009 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्यति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–05–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ" एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा लेखा शीर्ष" 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–04–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ" के अन्तर्गत राजकोष में चालान से जमा किया जायेगा।

3– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या– 83 के लेखाशीर्षक "4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेंष घटक योंजना–98–अम्बेडकर ग्राम विकास योजना–9801– सी0सी0 रोड तथा पक्की नाली/के0सी0 ड्रेन का निर्माण –48–पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान" के नामें डाला जायगा।

4– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

5– किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

6– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– सी0सी0रोड एवं पक्की नाली का निर्माण के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

c c road-83sooraj

8— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सी0ए0—934/दस—208—मित—1/2007 दिनांक 2—9—2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—8 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

12— प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—14 पर अंकित है।

संलग्नः—उक्ताकनुसार।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायतीराज,उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/ /1/10 उक्त दिनांक 26.5.10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा व हकदारी),उ0प्र0इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव,पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0शासन।
3— प्रमुख सचिव,लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्र0शासन
4— विशेष सचिव,बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण,उ0प्र0शासन।
5— उपसचिव,वित्त (व्यय नियंत्रण—3/वित्त बजट) अनु0—2,उ0प्र0शासन।
6— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उ0प्र0।
7— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,उ0प्र0।
8— समस्त उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक(पं0),उ0प्र0।
9— उपनिदेशक(प0)प्रथम पंचायतीराज निदेशालय उ0प्र0।

(ओ0पी0द्विवेदी)
वित्त नियंत्रक,
पंचायतीराज,उत्तरप्रदेश।

c c road-83sooraj

पत्र संख्याः 1/शा0/15/10–1/27/2010 लखनऊः दिनांक 26 अप्रैल, 2010

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन

अनुदान सख्या-83

(धनराशि लाख रूपयें में)

क.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय का अंश (4का 6.875%)	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय (7 का 6.875%)	आवंटित धनराशि (7+8)	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8*	9	10
1	मेरठ	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
2	बागपत	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
3	गाजियाबाद	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
4	गौतमबुद्धनगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
5	बुलन्दशहर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
6	सहारनपुर	39	1950.00	134.06	2084.06	975.00	67.03	1042.03	1042.03
7	मुजफ्फर नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
8	आगरा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
9	अलीगढ़	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
10	महामाया नगर	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50	427.50
11	एटा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
12	मैनपुरी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
13	मथुरा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
14	फिरोजाबाद	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
15	कॉशीराम नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78

क्र.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय का अंश (4का 6.875 %)	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय (7 का 6.875 %)	आवंटित धनराशि (7+8)	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8*	9	10
16	बरेली	17	850.00	58.44	908.44	425.00	29.22	454.22	454.22
17	बदॉयू	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
18	पीलीभीत	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50	427.50
19	शाहजहॉपुर	44	2200.00	151.25	2351.25	1100.00	75.63	1175.63	1175.63
20	मुरादाबाद	31	1550.00	106.56	1656.56	775.00	53.28	828.28	828.28
21	ज्योतिबा फूले नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
22	रामपुर	20	1000.00	68.75	1068.75	500.00	34.38	534.38	534.38
23	बिजनौर	75	3750.00	257.81	4007.81	1875.00	128.91	2003.91	2003.91
24	लखनऊ	54	2700.00	185.63	2885.63	1350.00	92.81	1442.81	1442.81
25	रायबरेली	43	2150.00	147.81	2297.81	1075.00	73.91	1148.91	1148.91
26	हरदोई	106	5300.00	364.38	5664.38	2650.00	182.19	2832.19	2832.19
27	उन्नाव	75	3750.00	257.81	4007.81	1875.00	128.91	2003.91	2003.91
28	सीतापुर	116	5800.00	398.75	6198.75	2900.00	199.38	3099.38	3099.38
29	लखीमपुर खीरी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
30	फैजाबाद	20	1000.00	68.75	1068.75	500.00	34.38	534.38	534.38
31	अम्बेडकर नगर	41	2050.00	140.94	2190.94	1025.00	70.47	1095.47	1095.47
32	सुलतानपुर	33	1650.00	113.44	1763.44	825.00	56.72	881.72	881.72
33	बाराबंकी	58	2900.00	199.38	3099.38	1450.00	99.69	1549.69	1549.69
34	गोण्डा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
35	बलरामपुर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
36	बहराईच	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
37	श्रावस्ती	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78

क्र.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय का अंश (4का 6.875 %)	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय (7 का 6.875 %)	आवंटित धनराशि (7+8)	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8*	9	10
38	इलाहाबाद	38	1900.00	130.63	2030.63	950.00	65.31	1015.31	1015.31
39	कौशाम्बी	32	1600.00	110.00	1710.00	800.00	55.00	855.00	855.00
40	फतेहपुर	21	1050.00	72.21	1122.21	525.00	36.09	561.09	561.09
41	प्रतापगढ़	24	1200.00	82.50	1282.50	600.00	41.25	641.25	641.25
42	वाराणसी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
43	चन्दौली	23	1150.00	79.06	1229.06	575.00	39.53	614.53	614.53
44	गाजीपुर	56	2800.00	192.50	2992.50	1400.00	96.25	1496.25	1496.25
45	जौनपुर	75	3750.00	257.81	4007.81	1875.00	128.91	2003.91	2003.91
46	मिर्जापुर	88	4400.00	302.50	4702.50	2200.00	151.25	2351.25	2351.25
47	सोनभद्र	128	6400.00	440.00	6840.00	3200.00	220.00	3420.00	3420.00
48	संतरविदास नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
49	हमीरपुर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
50	बॉदा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
51	चित्रकूट	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
52	महोबा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
53	गोरखपुर	90	4500.00	309.38	4809.38	2250.00	154.69	2404.69	2404.69
54	महाराजगंज	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
55	देवरिया	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
56	कुशीनगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
57	बस्ती	39	1950.00	134.06	2084.06	975.00	67.03	1042.03	1042.03

क्र.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय का अंश (4का 6.875 %)	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय (7 का 6.875 %)	आवंटित धनराशि (7+8)	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8*	9	10
58	संतकबीर नगर	25	1250.00	85.94	1335.94	625.00	42.97	667.97	667.97
59	सिद्धार्थ नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
60	आजमगढ	135	6750.00	464.06	7214.06	3375.00	232.05	3607.05	3607.05
61	मऊ	30	1500.00	103.13	1603.13	750.00	51.56	801.56	801.56
62	बलिया	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50	427.50
63	कानपुर नगर	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50	427.50
64	कानपुर देहात	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
65	फर्रूखाबाद	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
66	कन्नौज	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
67	इटावा	21	1050.00	72.21	1122.21	525.00	36.09	561.09	561.09
68	औरैया	21	1050.00	72.21	1122.21	525.00	36.09	561.09	561.09
69	झाँसी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
70	ललितपुर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78	400.78
71	जालौन	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50	427.50
	कुल योग-	**2223**	**111150.00**	**7641.56**	**118791.56**	**55575.00**	**3820.78**	**59395.78**	

(रू0-पाँच अरब तिरान्वे करोड़ पंचान्वे लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र)

* अधिष्ठान व्यय को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखाशीर्षक 1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–05–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा लेखाशीर्षक 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्रात्यिॉ –04–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ के अन्तर्गत राजकोष में चालान से जमा किया जाए।

(ओ0पी0 द्विवेदी)
वित्त नियंत्रक,
पंचायतीराज उ0प्र0।

संख्या-335 / 26-ब0प्र0-2010-100(3) / 2010

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ लखनऊ:: दिनांक:: 22 अप्रैल 2010

विषय :- डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिये सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्रांक 5शा / 739 / 10-5 / 46 / 2010 दिनांक 30.03.2010 व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951 / दस-2010- 231 / 2010, दिनांक 26-3-2010 एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग के शासनादेश संख्या-706 / डा0अ0ग्रा0स0वि0वि0 / 2010, दिनांक 16.02.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 124200.00 लाख में से कालम 9 में अंकित धनराशि के अनुसार कुल रू0 59395.78 लाख (रू0 पॉच अरब तिरानबे करोड़ पन्चानबे लाख अठहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन, जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951 / दस-2010-231 / 10, दिनांक 26-3-2009 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियॉ-05-अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ " एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्तियॉ-04-अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ " के अर्न्तगत राजकोष में चालान से जमा किया जाय।

(3) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलो में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलो में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत -789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-98-

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना –9801–सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण–48–पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान'' के नामें डाला जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिये निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशो के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली का निर्माण के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(8) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–ई–3-848/14-2010 दिनांक 21-4-2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक :–यथोक्त

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग उ0प्र0 शासन।
3– जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी लखनऊ।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5– मुख्य अधिकारी जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
6– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत लखनऊ।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2
8– वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1/2

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश सं. 335 /26 ग.प. 2010-100(3)/10 दि 22 अप्रैल-2010 का संलग्न

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन

अनुदान सख्या-83

(धनराशि लाख रूपयें में)

क्र.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय का अंश (4का 6.875 %)	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय (7 का 6.875 %)	आवंटन कुल धनराशि (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8*	9
1	मेरठ	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
2	बागपत	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
3	गाजियाबाद	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
4	गौतमबुद्धनगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
5	बुलन्दशहर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
6	सहारनपुर	39	1950.00	134.06	2084.06	975.00	67.03	1042.03
7	मुजफ्फर नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
8	आगरा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
9	अलीगढ़	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
10	महामाया नगर	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50
11	एटा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
12	मैनपुरी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
13	मथुरा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
14	फिरोजाबाद	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
15	कॉशीराम नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78

क्र.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय का अंश *(4का 6.875 %)*	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय *(7 का 6.875 %)*	**आवंटन हेतु कुल धनराशि (7+8)**
1	2	3	4	5	6	7	8*	9
16	बरेली	17	850.00	58.44	908.44	425.00	29.22	454.22
17	बदॉयू	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
18	पीलीभीत	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50
19	शाहजहॉपुर	44	2200.00	151.25	2351.25	1100.00	75.63	1175.63
20	मुरादाबाद	31	1550.00	106.56	1656.56	775.00	53.28	828.28
21	ज्योतिबा फूले नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
22	रामपुर	20	1000.00	68.75	1068.75	500.00	34.38	534.38
23	बिजनौर	75	3750.00	257.81	4007.81	1875.00	128.91	2003.91
24	लखनऊ	54	2700.00	185.63	2885.63	1350.00	92.81	1442.81
25	रायबरेली	43	2150.00	147.81	2297.81	1075.00	73.91	1148.91
26	हरदोई	106	5300.00	364.38	5664.38	2650.00	182.19	2832.19
27	उन्नाव	75	3750.00	257.81	4007.81	1875.00	128.91	2003.91
28	सीतापुर	116	5800.00	398.75	6198.75	2900.00	199.38	3099.38
29	लखीमपुर खीरी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
30	फैजाबाद	20	1000.00	68.75	1068.75	500.00	34.38	534.38
31	अम्बेडकर नगर	41	2050.00	140.94	2190.94	1025.00	70.47	1095.47
32	सुलतानपुर	33	1650.00	113.44	1763.44	825.00	56.72	881.72
33	बाराबंकी	58	2900.00	199.38	3099.38	1450.00	99.69	1549.69
34	गोण्डा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
35	बलरामपुर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78

क्र.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय का अंश (4का 6.875 %)	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय (7 का 6.875 %)	आवंटन कुल धनराशि (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8*	9
36	बहराईच	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
37	श्रावस्ती	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
38	इलाहाबाद	38	1900.00	130.63	2030.63	950.00	65.31	1015.31
39	कौशाम्बी	32	1600.00	110.00	1710.00	800.00	55.00	855.00
40	फतेहपुर	21	1050.00	72.21	1122.21	525.00	36.09	561.09
41	प्रतापगढ़	24	1200.00	82.50	1282.50	600.00	41.25	641.25
42	वाराणसी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
43	चन्दौली	23	1150.00	79.06	1229.06	575.00	39.53	614.53
44	गाजीपुर	56	2800.00	192.50	2992.50	1400.00	96.25	1496.25
45	जौनपुर	75	3750.00	257.81	4007.81	1875.00	128.91	2003.91
46	मिर्जापुर	88	4400.00	302.50	4702.50	2200.00	151.25	2351.25
47	सोनभद्र	128	6400.00	440.00	6840.00	3200.00	220.00	3420.00
48	संतरविदास नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
49	हमीरपुर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
50	बॉदा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
51	चित्रकूट	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
52	महोबा	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
53	गोरखपुर	90	4500.00	309.38	4809.38	2250.00	154.69	2404.69
54	महाराजगंज	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
55	देवरिया	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78

क्र.सं.	जनपद	सी0सी0 रोड हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	स्तम्भ-3 के ग्रामों हेतु रूपये 50 लाख की दर से कुल आवश्यकता (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय का अंश (4का 6.875 %)	कुल लागत (4+5)	प्रथम किश्त के आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (कार्याश)	अधिष्ठान व्यय (7 का 6.875 %)	आवंटन कुल धनराशि (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8*	9
56	कुशीनगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
57	बस्ती	39	1950.00	134.06	2084.06	975.00	67.03	1042.03
58	संतकबीर नगर	25	1250.00	85.94	1335.94	625.00	42.97	667.97
59	सिद्धार्थ नगर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
60	आजमगढ	135	6750.00	464.06	7214.06	3375.00	232.05	3607.05
61	मऊ	30	1500.00	103.13	1603.13	750.00	51.56	801.56
62	बलिया	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50
63	कानपुर नगर	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50
64	कानपुर देहात	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
65	फर्रूखाबाद	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
66	कन्नौज	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
67	इटावा	21	1050.00	72.21	1122.21	525.00	36.09	561.09
68	औरैया	21	1050.00	72.21	1122.21	525.00	36.09	561.09
69	झाँसी	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
70	ललितपुर	15	750.00	51.56	801.56	375.00	25.78	400.78
71	जालौन	16	800.00	55.00	855.00	400.00	27.50	427.50
	कुल योग-	**2223**	**111150.00**	**7641.56**	**118791.56**	**55575.00**	**3820.78**	**59395.78**

* अधिष्ठान व्यय को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखाशीर्षक 1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–05–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा लेखाशीर्षक 0515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्रात्यिॉ –04–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाए।

(उमा शंकर सिंह)
अनुसचिव